राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 393 / 2024

अशोक कुमार **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
3. अजय सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज रावला, उपवन संरक्षक, श्रीगंगानगर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024

आदेश की दिनांक : 07.06.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

बहस के दौरान कार्मिक श्री अजय सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, के पद पर रेंज रावला उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर में कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, के पद पर रेंज रावला उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा उक्त स्थान पर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा रेंज बहरोड, उप वन सरंक्षक, अलवर पदस्थापित कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष है और वह सीपी ग्रस्त होने के कारण उसका उपचार चल रहा है, जो असाध्य बीमारी के अंतर्गत आता है। अपीलार्थी का एक लडका जो चल फिर नहीं सकता और न ही बोल सकता है। परंतु गंभीर असाध्य बीमारी होने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 694/2023 प्रस्तुत की, जिसे अधिकरण द्वारा दिनांक 02.02.2023 को स्थगन आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उडन दस्ता उप वन संरक्षक, जिला अलवर स्थानांतरण किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण में लंबित अपील संख्या 694/2023 के निस्तारण तक स्थगित रहेगा और यह भी स्पष्ट किया कि अपीलार्थी को वही पर कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील अधिकरण के समक्ष विचाराधीन रहते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, के पद पर रेंज रावला उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर में कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई

अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरण रेंज रावला उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर से रेंज बहरोड, अलवर किया गया था, जिसे अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 694/2023 प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 02.02.2023 को बच्चे की बीमारी के आधार पर स्थगन आदेश जारी किया गया और उक्त स्थगन आदेश को एक वर्ष होने के आधार पर लोक अदालत की भावना से निर्णय करने के कारण उक्त अपील दिनांक 09.03.2024 को निस्तारित की जा चुकी है और इस प्रकार केवल मात्र बच्चे की बीमारी के आधार पर एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, के पद पर रेंज रावला उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा रेंज बहरोड, उप वन सरंक्षक, अलवर पदस्थापित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा उडन दस्ता उप वन संरक्षक, अलवर स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अधिकरण द्वारा जारी दिनांक 02.02.2023 स्थगन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 694/2023 प्रस्तुत की गई थी, परंतु अपील लंबित होने के बावजूद अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 393/2024 प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.02.2024 में आदेशित किया गया कि अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण में लंबित अपील संख्या 694/2023 के निस्तारण तक स्थगित रहेगा। अधिकरण के आदेश दिनांक 28.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील संख्या 694/2023 अंतिम रूप से निस्तारित की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त स्थगन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो चुका है। परंतु हम निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के इस तर्क से सहमत हैं कि बच्चे की बीमारी के आधार पर एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है

और प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कार्मिक का पदस्थापन जनहित में कहीं पर भी किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है और अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.02.2024 प्रावकाश (vacate) किया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के बच्चे की गंभीर व असाध्य बीमारी को ध्यान में रखते हुये उसका पदस्थापन/स्थानान्तरण जयपुर जिले में रिक्त पद होने पर पदस्थापित किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देशों के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) **सदस्य**	**(शुचि शर्मा)** **सदस्य**